

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,  
आंचलिक कार्यालय (उत्तर)  
गोमती नगर, लखनऊ

F. No. ZOL/Admn/120/Vol.-V/  
सेवा में,

488-493

दिनांक 12.09.2011  
13

संलग्नक सूची के अनुसार

**विषय:- निविदा सूचना**

महोदय,

संलग्नक के अनुसार ओकाया मेक बैटरी की उपलब्धता हेतु मुहरबन्द निविदाएं निम्नलिखित शर्तों के साथ आमंत्रित की जाती है :-

**नियम व शर्तें :**

01. निविदाएं इस कार्यालय में दिनांक 03.10.2011 तक या इससे पूर्व पहुँच जानी चाहिए।
02. निविदाओं को दोहरे लिफाफे में अच्छी तरह मुहरबंद करें तथा निविदा कमांक जेड.ओ.एल./प्रशासन/120/खण्ड-IV अन्दर के लिफाफे के ऊपर स्पष्ट लिखा हो। निविदा को डाक द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पिकप भवन, भू-तल, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ -226010 या कार्यालय में रखे निविदा बॉक्स में डाले जाने की सलाह दी जाती है।
03. बोर्ड एक या सभी निविदाओं को बिना कोई कारण बताए रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। निविदा खोले जाने की तिथि को भी बिना कोई कारण बताए स्थगित किया जा सकता है।
04. निविदा पर सुधार या ओवर राइटिंग नहीं होनी चाहिए। गलती यदि हो जाए तो उस पर हस्ताक्षर कर दिया जाए।
05. दर शब्दों एवं अक्षरों दोनों में लिखा जाए। दोनों में विषमता की स्थिति में शब्दों में लिखे दर को सही एवं अन्तिम माना जायेगा।
06. दिए गए दर पैकिंग लोडिंग तथा अनलोडिंग इत्यादि को शामिल करके होना चाहिए। विक्रय कर या व्यापार कर यदि लागू हो तो उसकी दर अलग से दी जाए। कृपया रजिस्ट्रेशन नं. यू.पी.एस.टी./सी.एस.टी. नं. से सम्बन्धित आवश्यक अभिलेख साथ लगाएं।
07. बैटरी का गारन्टी पीरियड निविदा पर साफ तौर पर लिखा होना चाहिए एवं आपको ई.एम.डी. राशि ₹ 15,000/- (पन्द्रह हजार) 'केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड' के नाम पर (लखनऊ में देय) डी. डी. के रूप में जमा करना होगा जो निविदा असाफल/कार्यवाही न होने पर वापस किये जाने योग्य होगा। ई.एम.डी. राशि के बिना निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
08. निर्धारित तिथि के उपरान्त प्राप्त किसी भी निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
09. टाइपिंग या लिपिकीय गलतियों में सुधार किया जा सकता है।
10. किसी भी विवाद की स्थिति में अध्यक्ष, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का निर्णय अन्तिम एवं दोनों पक्षों को मान्य होगा।

नोट : कृपया अपने कोटेशन को प्रापरली सील करके भेजें अन्यथा कोटेशन निरस्त किया जा सकता है।

भवदीय  
रमेश चन्द

(रमेश चन्द)

प्रशासनिक अधिकारी

प्रतिलिपि :-

1. प्रभासी, परियोजना कार्यालय आगरा
2. कार्यालय प्रति, के.प्र.नि.बोर्ड, लखनऊ
3. मास्टर फाईल, के.प्र.नि.बोर्ड, लखनऊ

रमेश चन्द  
(प्रशासनिक अधिकारी) 12/9/11

## Annexure

Sl.No.	Description of Material	Quantity
01.	Battery for 5 KVA UPS Make – Okaya 12 V/65 Ah	80 Nos.

(Note: - Rates should be quoted against buy-back of 12 V/26 Ah old SMF Batteries)

### **TERM & CONDITION: -**

1. The quotation should reach this office latest by 03.10.2011.
2. It may be noted that mere quoting the lowest rate will not entitle any party to get the order. All terms and conditions such as mode of payment, taxes, and validity etc. should clearly be mentioned in the bid.
3. The quotation should be addressed to the Incharge, Central Pollution Control Board, Ground Floor, Picup Bhawan, Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow by courier/registered post and should reach to this office on or before 03.10.2011
4. The rates may please be quoted inclusive of all taxes and F.O.R. to our office at Central Pollution Control Board, Project Office, 1<sup>st</sup> Floor, 04 Dholpur House, Mahatma Gandhi Road, Agra-282001.
5. Material must be of the specification/make provided in the Annexure. It is therefore advised to furnish rates of the Batteries with same specifications, including warranty period clearly against buy-back of old batteries.
6. The Batteries should be supplied only at Central Pollution Control Board, Project Office, 04 Dholpur House, Mahatma Gandhi Road, Agra-282001.
7. Guarantee period of Batteries should be clearly mentioned in the Bid. The Bidders are required to submit Earnest Money of ₹15,000/- (Fifteen thousand only) in form of D.D. in favour of Central Pollution Control Board and payable at Lucknow. The EMD shall be refundable in the event of non successful bidders. Bids shall not be entertained with out earnest money.
8. The competent Authority reserves the right to cancel any or all the quotations without assigning any reasons thereof.
9. In the event of any dispute in the matter, the decision of Chairman, Central Pollution Control Board will be final and binding of both parties.
10. Typographical and clerical errors are subject to corrections.

(Ramesh Chand)  
Administrative Officer